



ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 3.4
IJAR 2015; 1(4): 386-388
www.allresearchjournal.com
Received: 06-01-2015
Accepted: 25-02-2015

डॉ० जितेन्द्र प्रसाद

शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग,
ल.ना. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा,
बिहार, भारत

सामाजिक व्यवस्था संबंधी नेहरू एवं गाँधी जी के विचारों की प्रार्थमिकता

डॉ० जितेन्द्र प्रसाद

सारांश:

स्वतंत्रता संग्राम के क्रम में नेहरू जी अनवरत रूप से महात्मा गाँधी के सम्पर्क में रहें और उनके विचारों से व्यापक रूप में प्रभावित होते रहे, जिसके कारण सामाजिक राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक विचारों से अनवरत रूप से प्रभावित होते रहें। महात्मा गाँधी हमेशा भारत के लिए भारतीय परिपेक्ष में सोचते थे और उसे व्यवहारिक रूप में भारत की धरती पर उतारने का प्रयत्न करते थे। इसी कारण से नेहरू जी भी भारतीय परिपेक्ष में सोचने और उसे भारत की धरती पर उतारने की कला में प्रवीण होते गये। वर्तमान समाज में जमीन्दारों एवं पूँजीपतियों के यहाँ बिना मजदूरी के मजदूर लोग काम करते हैं। इससे उनका आर्थिक शोषण होता है। इस प्रथा को समाप्त करके यह प्रथा लागू की जायेगी कि बिना मजदूरी के कोई भी व्यक्ति किसी के यहाँ काम नहीं करेगा और उचित मजदूरी प्राप्त करके ही काम करेगा। यह प्रथा सामन्ती समाज का प्रतीक है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में यह प्रथा कभी भी नहीं रहेगी। नेहरू जी सामाजिक व्यवस्था से बँधुआ मजदूरी को भी समाप्त करने के समर्थक हैं। बँधुआ मजदूरी एक सामाजिक कलंक है। इससे गरीबों को शोषण होता है। बँधुआ मजदूरी के कारण उनको भरपेट भोजन तक भी नसीब नहीं होता है। इस प्रकार नेहरू जी गाँधी जी के विचारों से प्रभावित होकर एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की कल्पना करते हैं जिससे प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होकर स्वस्थ सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का सम्यक विकास होगा। इस समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं रहेगी। बाल विवाह के कारण समाज में विधवाओं की संख्या बहुत हो जाती है। इसलिए विधवा विवाह को प्रोत्साहन देकर विधवाओं को उचित प्रश्रय दिया जायेगा।

भूमिका:

गाँधीजी की भाँति नेहरू का विचार है कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें विभिन्न धर्मों और सम्प्रदायों के लोग निवास करते हैं। हम एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे, जिसमें एक ही गाँव अथवा शहर में सभी धर्मों और सम्प्रदायों के लोग निवास करेंगे। सभी लोगों का घर आसपास में ही होगा परन्तु सभी सम्प्रदायों के लोगों में आपसी प्रेम स्थापित होगा। धार्मिक अथवा साम्प्रदायिक झगड़ें नहीं होंगे तथा सभी सम्प्रदायों में आपसी प्रेम व्यवहार स्थापित होगा। सभी सम्प्रदायों के लोग एक दूसरे के साम्प्रदायिक उत्सवों में भाग लेंगे तथा सभी सम्प्रदायों का साम्प्रदायिक उत्सव समान से मनाया जायेगा और सभी सम्प्रदायों में प्रेम व्यवहार स्थापित रहेगा। यहाँ पर गाँधीजी और नेहरूजी मिश्रित समाज की स्थापना पर अपना चिन्तन प्रकट करते हैं। नेहरू का विचार है कि इस प्रकार मिश्रित समाज आधुनिक युग की मांग है। सभी सम्प्रदायों के लोग अलग-अलग रहेंगे तो सामाजिक सौहार्द की स्थापना नहीं हो सकेगी। इसके लिए मिश्रित समाज की स्थापना अनिवार्य है। नेहरूजी भारतीय समाज की विशेषता की व्याख्या करते हुए कहते हैं— “पाठान और तमिल दो अलग-अलग छोड़ों की मिशालें हैं, और लोग इन के बीच आते हैं। सभी के रूप जुदा है, लेकिन जो बाद सबसे बढ़कर है वह यह है कि सभी पर हिन्दुस्तान की छाप है। यह एक दिलचस्प बात है कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आन्ध्र, उड़िया, आसमी, मलयाली, सिंधि, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजस्थानी आदि भाषाएँ बोली जाती हैं। इन सब ने सैकड़ों वर्षों से अपनी खासियत कायम रखी है, और अब भी उनमें वे ही गुण दोष मिलते हैं, जिनका पता परम्परा और पुराने लेखों से मिलता है। नेहरू जी आगे लिखते हैं : “हिन्दुस्तान से बाहर के देशों में उत्पन्न होने वाले अनुयायी हिन्दुस्तान में आने और यहाँ पर बसने के कुछ ही पीढ़ियों के भीतर स्पष्ट रूप से वे हिन्दुस्तानी बन जाते थे। जैसे ईसाई, यहूदी, पारसी और मुसलमान। ऐसे हिन्दुस्तानी जिन्होंने इसमें से किसी एक धर्म को स्वीकार कर लिया। एक क्षण के लिए भी इस धर्म परिवर्तन के कारण गैर हिन्दुस्तानी न हो गये। दूसरे देशों में इन्हें हिन्दुस्तानी और विदेशी समझा जाता रहा, चाहे इनका धर्म वही रहा हो, जो दूसरे देशों का था।

आज भी, जबकि राष्ट्रीयता का विचार बहुत बदल गया और उन्नति कर गया है,

Corresponding Author:

डॉ० जितेन्द्र प्रसाद

शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग,
ल.ना. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा,
बिहार, भारत

विदेशों में हिन्दुस्तानियों का एक गिरोह एक अलग गिरोह समझा जाता है और अपने भीतरी भेदों के बावजूद उन्हें एक गिना जाता है, हिन्दुस्तानी ईसाई, चाहे जहाँ जाए, हिन्दुस्तानी ही समझा जाता है और हिन्दुस्तानी मुसलमान चाहे तुर्की में ही हो, चाहे ईरान और अरब में सभी इस्लामी मुलकों में वह हिन्दुस्तानी समझा जाता है।”

सामाजिक समानता— सामाजिक समानता के सम्बन्ध में नेहरू के उपर गाँधीजी के चिन्तन का व्यापक प्रभाव पड़ा है:

गाँधीजी का चिन्तन— महात्मा गाँधी सामाजिक समानता के प्रबल समर्थक थे। उनका विचार था कि समाज में रहने वाले व्यक्ति नागरिक को सामाजिक स्तर पर समानता का व्यवहार होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक भारतीय समाज में देखा था कि हिन्दु और मुसलमान तथा हिन्दु और ईसाई में सामाजिक समानता का भाव नहीं है। हिन्दुओं में अनेकों प्रकार की जातियाँ हैं। परन्तु इन जातियों में कोई उच्च जाति का है तो कोई निम्न जाति का। कोई अछूत है और उसके साथ उठना-बैठना, खाना-पीना आदि वर्जित है। इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था रहने पर समाज में प्रेम के बदले घृणा का वातावरण रहता है, जिसके कारण भारतीय समाज में एकता और समन्वय की भावना नहीं आ पाती है। हमें एक ऐसे समाज की स्थापना करनी है जिसमें रहनेवाले प्रत्येक व्यक्ति समानता के आधार पर रहें और प्रेम व्यवहार स्थापित करके सुखमय जीवन बितायें। इस समाज में जातियों को समान अधिकार मिले और सभी लोगों के मन में समानता का भाव रहे। ऐसे ही समानता के आधार पर हमें नये समाज की रचना करनी होगी।

महात्मा गाँधी का मानना है कि अहिंसात्मक राज्य समाज में समानता का वातावरण स्थापित करता है।

गाँधीजी के अनुसार— अहिंसात्मक राज्य का मुख्य कर्तव्य है। अपने नागरिकों में नैतिक क्षमता का विकास करना एक अहिंसात्मक राज्य समाज में समानता की स्थापना करता है। अस्पृश्यता समाप्त करता है, जातिवादीता एवं रूढ़ीवादीता को समाप्त करता है।

पुनः गाँधीजी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में विद्यमान असमानता को समाप्त करना चाहते हैं। वे कहते हैं— दूसरे शब्दों में ग्रामीणों और शहरी निवासियों में भोजन, वस्त्र और जीवन के स्तर में समानता होनी चाहिए। समानता के आधार पर प्रत्येक व्यक्तियों को यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपने जीवन को आवश्यकताओं के लिए वस्तुओं का उत्पादन कर सकें। उसे समानता के आधार पर भोजन की सामग्री, वस्त्र, आवास, पानी और प्रकाश की सुविधा मिलनी चाहिए।

उपर वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि गाँधी जी समानता को विशेष महत्व देते हैं क्योंकि उनके अनुसार प्रत्येक मनुष्य समान है और उसकी समान आवश्यकतायें हैं।

नेहरूजी का चिन्तन— गाँधीजी की भाँति नेहरू का विचार है कि भारत में हमें ऐसे समाज की स्थापना करनी है जिसमें प्रत्येक नागरिक समानता के आधार पर जीवन व्यतीत करें। समाज में ऊँच और नीच की भावना नहीं रहे। कोई जाति अपने को श्रेष्ठ न माने और न कोई जाति अपने को नीच समझे। समाज में प्रत्येक नागरिक को समानता के आधार पर आदर, सम्मान और प्रेम व्यवहार मिले। किसी भी नागरिक के मन में हीन भावना या निम्न होने की भावना का भाव न आये। सभी जातियों एवं सम्प्रदायों के लोग सामाजिक समानता के आधार पर रहें। सभी जातियों एवं सम्प्रदायों में सामंजस्य होना चाहिए तथा धर्म और जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं होना चाहिए। सभी नागरिकों को सभी क्षेत्र में समानता का व्यवहार मिलना चाहिए। नेहरूजी समानता के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति का विकास चाहते हैं। उनका मानना है कि— मैं चाहता हूँ कि जाति रहित और वर्ग रहित

समाज की स्थापना हो जिसमें प्रत्येक व्यक्तियों को अपनी क्षमता के आधार पर विकास का पूर्ण अवसर प्रदान किया जा सकें। आगे वे कहते हैं— जब हम प्रजातंत्र की बात करते हैं तो हमें इसमें समानता के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए विकास का द्वार खुला होना चाहिए।

नेहरूजी समानता के सिद्धान्त में पूर्ण विश्वास करते थे। इसलिए उन्होंने संविधान निर्माण समिति के सचिव के रूप में संविधान की धारा 14 से 18 तक समानता के अधिकार को समाहित किया। इन धाराओं में कहा गया है कि— कानून के समक्ष भारतीय क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति एवं समान होगा। (धारा-14)

राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर पर नागरिकों के साथ भेद भाव नहीं किया जाये और (धारा-15)

धर्म, जाति, लिंग, गोत्र का विभेद किये बिना सभी व्यक्ति को समान रूप से सरकारी पद प्राप्त होगा। (धारा-16)

धर्म, जाति, गोत्र, लिंग के आधार पर अस्पृश्यता को राज्य नहीं मानेगा। (धारा-11)

इन बातों से स्पष्ट होता है कि नेहरू जी समानता के सिद्धान्त को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं।

महात्मा गाँधी भारतीय समाज में आर्थिक समानता के प्रबल समर्थक हैं। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति एक ही ईश्वर की सन्तान हैं।

उनका चिन्तन है कि भारत में ऐसे समाज की स्थापना होनी चाहिए जिसमें सभी व्यक्ति समान आर्थिक अधिकारों से सम्पन्न हो। वर्तमान समाज में प्रत्येक नागरिक को समान आर्थिक अधिकार प्राप्त नहीं है जिसके कारण कोई व्यक्ति रोजी-रोटी के अभाव में दर-दर की टोकर खा रहा है और कोई व्यक्ति आराम की जिन्दगी व्यतीत कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में समान अवसर प्राप्त होना चाहिए जिससे प्रत्येक व्यक्ति अर्थ की आमदनी कर सकें और सुखी जीवन जी सकें। प्रत्येक नागरिक को जाति, धर्म, गोत्र, लिंग और धन का विभेद किये बिना अर्थ कमाने का समान अवसर मिलना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में समान अवसर मिलने पर समाज के विभिन्न जातियों के लोगों की आर्थिक उन्नति होगी और प्रत्येक नागरिक को समानता के आधार पर आर्थिक विकास करने का अवसर मिलना चाहिए।

आर्थिक समानता के विषय में महात्मा गाँधी ने 15 नवम्बर 1928 के अंक में यंग इंडिया में लिखा था कि— मेरे सपनों के स्वराज में जीवन के लिए आवश्यक सामग्री धनी तथा निर्धन को समान रूप से प्राप्त होगी और किसी के लिए भी भोजन तथा वस्त्र का अभाव नहीं रहेगा। स्वाधीनता के मधुर फलों का भोग उच्चतम तथा निम्नतम समान रूप से करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को इतना रोजगार अवश्य मिलेगा। जिससे वह अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इस आदेश की पूर्ति के लिए जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं के उत्पादन को साधनों पर जन साधारण का अधिकार होना चाहिए। ये वस्तुयें सभी को उसी प्रकार निर्वाध रूप से प्राप्त होनी चाहिए कि ईश्वर की बनायी वायु तथा जल प्राप्त होते हैं अथवा होने चाहिए।

आगे फिर वे कहते हैं— आर्थिक समानता का यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन यापन की सामग्री समान मात्रा में प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि सभी व्यक्ति को रहने के लिए एक समान मकान हो, एक समान भोजन मिले, एक समान वस्त्र मिले। आर्थिक समानता का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए मौलिक सामग्री समान रूप में अहिंसात्मक साधन के द्वारा प्राप्त होनी चाहिए।

फिर वे आगे कहते हैं— आर्थिक समानता का अर्थ यह नहीं होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान मात्रा में जीवन सामग्री उपलब्ध हो। इसका साधारण अर्थ यह है कि प्रत्येक पुरुष और स्त्री को आवश्यकता के अनुसार सामग्री प्राप्त हो। एक हाथी को एक चींटी

की अपेक्षा हजारों गुणा अधिक भोजना चाहिए। यह किसी प्रकार की असमानता नहीं है। इसलिए आर्थिक समानता का वास्तविक अर्थ है, प्रत्येक को आवश्यकता के अनुसार प्राप्त हो। यदि एक व्यक्ति उतना ही चाहता है जितना चार बच्चों और पति, पत्नी को प्राप्त होता है तो यह समानता नहीं होगी।

आर्थिक समानता के सम्बन्ध में नेहरू के विचारों पर गाँधीजी के विचारों का व्यापक प्रभाव है। गाँधीजी की भाँति नेहरूजी का विचार है कि भारत में ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जिसमें आर्थिक समानता के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को समान आर्थिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए जिससे सभी व्यक्ति बिना भेद भाव के आर्थिक उन्नति कर सकें। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को अर्थ कमाने की छूट मिलनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति समाज में अर्थ संचय के साधनों का चुनाव कर सके और अपनी इच्छानुसार व्यवसाय या पेशा को चुने और उसमें अपने परिश्रम से रोटी के लिए अर्थ का संचय कर सके। जब प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में समानता के आधार पर अधिकार मिलेगा तभी सभी जातियों के लोगों की आर्थिक हालत में सुधार होगा और समाज का आर्थिक विकास होगा। आधुनिक समाज में आर्थिक समानता प्राप्त होना अति आवश्यक है।

नेहरूजी का मानना है कि प्रत्येक व्यक्तियों को आर्थिक विकास का उचित लाभ मिलना चाहिए।

वे कहते हैं— हम यह नहीं चाहते हैं कि बहुत उत्पादन का मुनाफा सीमित लोगों के पॉकेट में जाए। यह निश्चित है कि प्रत्येक व्यक्ति समान क्षमता वाला नहीं है, जो समान कार्य कर सकें। परन्तु यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को समानता के आधार पर अवसर मिले कि वह अपनी क्षमता के आधार पर कार्य करें और अर्थ प्राप्त करें। इस प्रकार से समाज में वर्तमान आर्थिक आमदनी में असमानता नहीं रहेगी। ऐसी ही परिस्थिति हम भारत में लाना चाहते हैं।

नेहरूजी आगे कहते हैं— देश के करोड़ों आदमियों को गरीबी से छुटकारा दिलाना और बेरोजगारी को खत्म करना है। ये सबसे बड़े काम हैं, क्योंकि आखिर में एक देश की ताकत जैसे एक व्यक्ति की ताकत खाली लम्बी चौड़ी बातों से साबित नहीं होती है। उनकी आर्थिक शक्ति से होती है। उससे आपस में एकता मिलती है। इससे शक्ति होती है तो हमने सियासी आजादी हासिल की है। हमें एक तरह का स्वराज्य मिला। लेकिन यह अधूरा स्वराज्य है। स्वराज्य तब पूरा होगा जब उसकी पहुँच एक-एक के पास हो जाए और एक-एक की आर्थिक हालत अच्छी हो जाए तो यह सबसे बड़ा काम है। जिसमें हम लगे हैं कि हिन्दुस्तान की गरीबी को दूर करना है और बेरोजगारी को खत्म करना है। हर एक के पास काम हो, हर एक पुरुष और स्त्री अपने काम से देश के लिए और अपने लिए धन पैदा करें और इससे हमारी शक्ति बढ़े।

निष्कर्ष:

गाँधी जी के विचारों से प्रभावित होकर नेहरू जी एक ऐसे समाज की स्थापना का लक्ष्य रखते हैं जिसमें कोई भी वर्ग नहीं रहेगा। वर्तमान समाज में दो वर्ग बन गये हैं। प्रथमतः शोषक वर्ग अथवा शासक वर्ग तथा द्वितीयतः शासित अथवा शोषित वर्ग। इन दोनों वर्गों को समाप्त कर शोषण रहित और वर्ग रहित समाज की स्थापना की जायेगी। जो समानता के सिद्धान्त पर अवलम्बित होगा। इस समाज में बाल श्रम का उन्मूलन होगा वर्तमान समाज में गरीबी के कारण बालकों से श्रम लिया जाता है। उनका शोषण किया जाता है, जिसके कारण वे तो न पढ़ पाते हैं और न अपना विकास कर पाते हैं। इस प्रकार की समाजिक परम्परा को सर्वदा के लिए समाप्त कर दिया जायेगा। नेहरू जी का मानना है कि भारत में प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना होगी और प्रजातांत्रिक समाज स्थापित होगा। सभी लोग सभी प्रकार के अधिकारों से सम्पन्न होकर प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अपनी सहभागिता प्रदर्शित

करेंगे।

संदर्भ स्रोत

1. सूद ज्योति प्रसाद, आधुनिक भारतीय समाजिक एवं राजनीतिक विचार की मुख्य धारायें, मेरठ, 1964, पृष्ठ, 164-170
2. नेहरू जवाहरलाल हिन्दुस्तान की कहानी (संक्षिप्त) सम्पादक रामचंद्र टंडन, सरस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2010 पृष्ठ-22
3. घवन गोपीनाथ, पोलिटिकल फिलोस्फी आफ महात्मा गाँधी, (नवजीवन पब्लिशिंग, हाउस, इलाहबाद, 1946) पृष्ठ-350
4. नारायण श्रीमन, सेलेक्टड वर्क्स आफ महात्मा गाँधी मामूम-4 रू दी मोआयस आफ टूथ (नवजीवन पब्लिशिंग, हाउस, इलाहबाद, -14, 1968) पृष्ठ-348
5. जोन एवं फाडिया, भारतीय शासन एवं राजनीति, (साहित्य भवन पब्लिकेशन्स आगरा, 1003), पृष्ठ-164
6. सेलेक्टड वर्क्स आफ महात्मा गाँधी, भॉलूम-6, देखें फुटनॉट-5, पृष्ठ-340
7. सूद ज्योतिप्रसाद, आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक विचार की मुख्यधारायें, देखें फुटनॉट-1, पृष्ठ 142
8. नेहरू जवाहर लाल, इन्डीपेन्डेस एण्ड आफटर जून 1949 पृष्ठ-49
9. सूद ज्योति प्रसाद, आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक विचार की मुख्यधारायें, देखें फुटनॉट-1, पृष्ठ 141
10. जवाहरलाल नेहरू आजादी के सत्रह कदम (प्रकाशन विभाग सूचना और प्रशासन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 1965), पृष्ठ-59-60।